



ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
169, चितवन एस्टेट, सेक्टर-गामा, ग्रेटर नोएडा सिटी
गौतमबुद्धनगर, 201310


पत्रांक:नियो0/पी0ओ0-50/2016/ 593
दिनांक-28/06/2016

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 104वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-104/16 दिनांक 14.03.2016 में कृषकों को दिये जाने वाले आबादी विस्तार के भूखण्डों पर भू-विभाग के अनुमोदनोपरान्त कृषकों की सहमति के आधार पर उपविभाजन/आमेलन के संबंध में नीति का निर्धारण अनुमोदित किया गया था। उपरोक्त नीति में उपविभाजन/आमेलन के संबंध में आ रही व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत 105वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या 105/07 में निम्न संशोधन अनुमोदित किये गये हैं :-

"यदि किसी भी प्रकरण में उपविभाजन 4 से अधिक भाग में किया जाता है तो ऐसे प्रकरणों में परिवार रजिस्टर व भूलेख विभाग के सत्यापन के उपरान्त परिवार हेतु चार से अधिक भागों में भूखण्ड को उप विभाजित किया जा सकता है एवं कोई भी भूखण्ड का आकार 120 वर्गमीटर से कम नहीं होगा"।

शेष शर्तें पूर्व अनुमोदित नीति एवं जारी कार्यालय आदेश दिनांक 18.04.2016 के अनुरूप ही होगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(दीपक अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(के/एस/पी/जे) को सूचनार्थ।
2. महाप्रबन्धक(नियो0/वास्तु0) को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष () को सूचनार्थ।
4. भू-परामर्शदाता/समस्त तहसीलदार को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।
5. प्रबन्धक सिस्टम को प्राधिकरण की बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी